HUNDREDPAISA

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में

- इस योजना के तहत **ऐसे आवेदक पात्र हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो**, और जो **गरीबी रेखा के नीचे** आते हैं, या जिनकी वार्षिक आय अधिकतम **शहरी क्षेत्र में ₹56,460/-** और **ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080/-** तक हो।
- इस पात्रता के आधार पर **60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों** को ₹1000/- प्रति माह पेंशन दी जाती है, जिसमें से **₹800/- राज्य अंश** और **₹200/- केंद्र अंश** होता है।
  80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को ₹1000/- प्रति माह पेंशन दी जाती है, जिसमें **₹500/- राज्य अंश** और **₹500/- केंद्र अंश** होता है।
- आवेदन हेतु आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है:
  1. रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
  2. जन्म प्रमाण पत्र / आयु प्रमाण पत्र की छायाप्रति
  3. पहचान प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा जारी)
  5. बैंक प्रमाण पत्र विवरण
- योजना में **पारदर्शिता लाने** के लिए, योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों का **सत्यापन प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून तक किया जाता है।**
  सत्यापन के उपरांत **जाँच में मृतक या अपात्र पेंशनरों को सूची से हटा** दिया जाता है और उनके स्थान पर नए पात्र पेंशनरों का चयन किया जाता है।

सूचना:

हमारी टीम आपसे संपर्क करके दस्तावेज़ ईमेल/WhatsApp से लेगी, फॉर्म भरने और OTP प्रक्रिया में मदद करेगी; प्रक्रिया पूरी होने पर रसीद आपको ईमेल/WhatsApp के माध्यम से भेज दी जाएगी।

हस्ताक्षर (आवेदन कर्ता)